

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं० संख्या - 15/औ०-15-06/12(खंड)...../स्वा०, दिनांक-.....

श्री शंभु नाथ ठाकुर, औषधि निरीक्षक, गया जिन्हें दिनांक-17.01.2012 को गया में छापामारी के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आरोप में विभागीय ज्ञापांक-731(15) दिनांक-02.07.2013 के द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या-1023(15) दिनांक-11.09.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। अधिगम के निष्कर्ष में आरोपित औषधि निरीक्षक के संकल्प के अनुबन्ध में गठित आरोप यथा-श्री शंभु नाथ ठाकुर, औषधि निरीक्षक, गया सम्प्रति निलंबित की भूमिका उपरोक्त छापामारी में संदिग्ध पाया जाना प्रथम द्रष्टव्य सही प्रमाणित होता है परन्तु अभियुक्तों के प्रभाव में आकर प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार के संदर्भ में कोई ठोस साक्ष्य/प्रमाण नहीं पाया गया। समीक्षोपरान्त विभागीय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री शंभु नाथ ठाकुर, औषधि निरीक्षक, गया को निलंबन मुक्त करते हुए भविष्य के लिए इन्हें चेतावनी दिए जाने हेतु आदेश दिया है जिसके आलोक में श्री शंभु नाथ ठाकुर, औषधि निरीक्षक, गया को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. भविष्य में इस तरह के कार्य की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आपको चेतावनी दी जाती है।
3. श्री शंभु नाथ ठाकुर के निलम्बन अवधि के वेतन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा।
4. श्री शंभु नाथ ठाकुर के निलम्बन मुक्त होने के पश्चात् उनके पदस्थान के बिन्दु पर अलग से निर्णय लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-...../स्वा०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-प्रभारी राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-...../स्वा०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-...../स्वा०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....2.08.15...../स्वा०, पटना, दिनांक-.....15/4/15

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, गया/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/वरीय पुलिस अधीक्षक, गया/ सिविल सर्जन, गया/क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मगध प्रमण्डल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना /अनुज्ञापन प्राधिकारी, गया/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव /माननीय स्वास्थ्य मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-श्री शंभु नाथ ठाकुर, औषधि निरीक्षक, गया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।